

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/अध्या.संवर्ग/संवि./ए /3/2008/129

भोपाल, दिनांक 6/3/09

प्रति,
जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला
मध्यप्रदेश

विषय:—अध्यापक संवर्ग के अंतर्जिला संविलियन के आवेदकों से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर
कार्रवाई उपरांत कमीपूर्ति के संबंध में

—0—

अध्यापक संवर्ग के अंतर्जिला संविलियन हेतु विभिन्न माध्यमों से प्राप्त आवेदनों का मध्यप्रदेश शासन, सकूल शिक्षा विभाग के आदेश/ज्ञाप दिनांक 08.11.05, 21.12.05 एवं 26.04.08 के अंतर्गत परीक्षण उपरांत आपके जिले के निम्न तालिका में अंकित आवेदन के सामने कॉलम-5 में उल्लेखित आवश्यक अभिलेखों की कमियां पाई गई है। ऐसे आवेदकों का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र	शिक्षा कर्मों का नाम वग (अध्यापक संवर्ग) एवं कार्यरत शाला का नाम	कार्यरत निकाय का नाम	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शा.ता के नाम	सं.शा.शि. 1,2,3 से अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/संवि. का आदेश संलग्न है या नहीं	रिमार्क
1	2	3	4	5	
1	श्रीमती चन्द्रवती चौहान सहायक अध्यापक शास.प्रा.शाला डोबी जिला सीहोर	नगर पंचायत परिषद बुदनी जिला सीहोर जा.क्र.780 दिं. 16.6.08	जनपद पंचायत बुदनी जिला सीहोर जा.क्र. निरंक दिं. 16. 608	निरंक	प्रकरण जिला अन्तर्गत है ।
2	श्री नवीन कुमार तनेजा सविदा शिक्षक तर्ग -1 शास.उ.हा.से.स्कूल नटेरन जिला विदिशा	निरंक	निरंक	निरंक	सविदा शाला शिक्षकों का नियोजन शाला विशेष के लिये किया जाता है ! संविलियन का प्रावधान नहीं है
3	श्री कृष्णकान्त नागर अध्यापक शास.हाईस्कूल नूरगंज जिला रायसेन	निरंक	निरंक	संलग्न है	वर्तमान में जारी अध्यापक संवर्ग की संविलियन नीति में प्राप्त निर्देशों के दाय में पुरुष अभ्यर्थी को पात्रता नहीं होने के कारण प्रकरण अमान्य किया जाता है
4	श्रीमती स्वाती चौहान अध्यापक शास.मा.शाला जहानपुर जिला सीहोर	जनपद पंचायत बुदनी जिला सीहोर जा.क्र. 1223 दिं.16.7. 08	नगर पालिक निगम भोपाल जिला भोपाल जा.क्र. 392 दिं. 16.7.08 शास.मा.शाला आरिफ नगर	निरंक	संविलियन आदेश संलग्न नहीं है ।

5	श्रीमती प्रमीला पाण्डेय सं.शा.शि.वर्ग-3 शास.प्रा.वि.बुढवाकर जिला सतना	निरंक	निरंक	निरंक	संविदा शाला शिक्षकों का नियोजन शाला विशेष के लिये किया जाता है । संविलियन का प्रावधान नहीं है
6	श्री नानकराम अहिरवार, अध्यापक, शा.मा.शाला देहरीखुर्द बुदनी जिला सीहोर	निरंक	निरंक	निरंक	प्रकरण जिला अन्तर्गत है ।
7	श्रीमती मुक्ता ठाकुर अध्यापक शास.मा.शाला भोजपुर जिला रायसेन	निरंक	निरंक	निरंक	प्रकरण जिला अन्तर्गत है ।
8	मनोज कुमार नागक अध्यापक शास.मा.शा.खैरखेडी जिला रायसेन	निरंक	निरंक	निरंक	प्रकरण जिला अन्तर्गत है ।
9	श्रीमती कान्ता शर्मा, सहायक अध्यापक शास.प्रा.शा.रमगढ जिला भोपाल	निरंक	निरंक	निरंक	प्रकरण जिला अन्तर्गत है ।
10	श्रीमती नीलिमा सोनी सहायक अध्यापक शास.बा.मा.शा.खालवा जिला खण्डवा	जनपद पंचायत खण्डवा जिला खण्डवा जा.क्र.563 दिं. 11.5.08	जनपद पंचायत खण्डवा जिला खण्डवा जा.क्र. 825 दिं. 21.4.08	निरंक	प्रकरण जिला अन्तर्गत है
11	श्रीमती भाया वर्मा सहायक अध्यापक शास.मा.वि. मण्डी जिला सीहोर	निरंक	निरंक	निरंक	दोनों निकाय की अनापत्ति एवं संविलियन आदेश की प्रति संलग्न नहीं है
12	कृ. दीप्ति जाटव संविदा शिक्षक वर्ग -2 शास.मा.शाला करैधा रामशाबाद जिला विदिशा	निरंक	निरंक	निरंक	संविदा शाला शिक्षकों का नियोजन शाला विशेष के लिये किया जाता है । संविलियन का प्रावधान नहीं है
13	श्रीमती अनीता सिंह सहायक अध्यापक शास.प्रा.शाला धनवाहीकला मैहर जिला सतना	निरंक	निरंक	निरंक	दोनों निकाय की अनापत्ति एवं संविलियन आदेश की प्रति संलग्न नहीं है
14	श्री रामसुदर्शन झाडे संविदा शिक्षक वर्ग -3 शास.प्रा.शा. देबराबही जिला हरदा	निरंक	निरंक	निरंक	संविदा शाला शिक्षकों का नियोजन शाला विशेष के लिये किया जाता है । संविलियन का प्रावधान नहीं है ।
15	श्री करण सिंह मेहरा सहायक अध्यापक शास.मा.शा.डिमावर जिला सीहोर	निरंक	निरंक	निरंक	वर्तमान में जारी अध्यापक संवर्ग की संविलियन नीति में प्राप्त निर्देशों के क्रम में पुरुष अभ्यर्थी को प्राप्ति नहीं होने के कारण प्रकरण अमान्य किया जाता है

16	श्रीमती नसरीन अशरफ -सं.शाला शि.वर्ग-3 शास.बालक उमावि. पाटनदेव जिला रायसेन	नगर पालिका परिषद जिला रायसेन जा.क्र. 871 दिं. 7.7.08	निरंक	निरंक	संविदा शाला शिक्षकों का नियोजन शाला विशेष के लिये किया जाता है । संविलियन का प्रावधान नहीं है
17	श्री कांशीराम वंशकार सहायक अध्यापक शास.प्रा.शा.गोपालपुरा जिला सीहोर	जनपद पंचायत सीहोर जिला सीहोर जा.क्र. 1927 दिं. 17.7.08	नगर पालिक निगम भोपाल जिला भोपाल जा.क्र. 66 दिं. 21.7.08 निरंक	निरंक	संविलियन निकाय की अनापत्ति में शाला का नाम एवं संविलियन आदेश संलग्न नहीं है ।
18	श्रीमती अर्चना नागर संविदा शिक्षा कर्मी वर्ग 3 शास.प्रा.वि. साकरिया जिला उज्जैन	निरंक	निरंक	निरंक	दोनों निकाय की अनापत्ति एवं संविलियन आदेश की प्रति संलग्न नहीं है
19	श्रीमती निशा गुप्ता संविदा शाला शिक्षक वर्ग -3 शास.प्रा.शा.केथोरी जिला विदिशा	जनपद पंचायत बासोदा जिला विदिशा जा.क्र. 2424 दिं. 18.9.08	नगर पंचायत ओबेदुल्लागंज जिला रायसेन जा.क्र.599 दिं. 27.9.08 शास.प्रा.शाला.दिगवाड	निरंक	संविलियन आदेश की प्रति संलग्न नहीं है
20	श्रीमती द्रौपती इनगाती(परते) सहायक अध्यापक शास. प्रा.शाला कौडीटोला जिला बालाघाट	जनपद पंचायत लालबरा जिला बालाघाट जा.क्र. क्यू दिं. 8.8.08	जनपद पंचायत बरघाट जिला सिवनी जा.क्र. 2612 दिं. 12.8.08 शास.प्रा.शाला कौडीटोला	निरंक	संविलियन आदेश की प्रति संलग्न नहीं है

अतः उक्त तालिका में अंकित आवेदक के द्वारा तालिका के कॉलम-5 के अनुसार वांछित अभिलेख उपलब्ध कराये जाते हैं तो (अमान्य) को छोड़कर उनके द्वारा चाहे गये अंतर्जिला संविलियन की अनुमति पर विचार किया जा सकता है। तालिका में दर्शित जिन आवेदकों का संचालनालय द्वारा पूर्व में आदेश जारी हो चुका है उनके द्वारा कमी पूर्ति हेतु पुनः आवेदन/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाएं। साथ ही जिन आवेदकों का जिला अन्तर्गत प्रकरण है वे संविलियन हेतु जिला कलेक्टर कार्यालय में आवेदन करें।

उक्तानुसार कार्रवाई समयसीमा में एक सप्ताह में सुनिश्चित कराएं।

कृते : संचालक लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

पृष्ठा क्रमांक/अध्या.संवर्ग/संवि./ए/3/2008/130
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव मा.मंत्री जी/राज्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल।
2. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, संभागीय कार्यालय, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि उक्त तालिका अनुसार आपके जिले से संबंधित आवेदकों को तालिका के कॉलम-5 की स्थिति से अवगत कराएं।
4. संबंधित आवेदक की ओर सूचनार्थ।
5. कंप्यूटर समन्वयक स्थानीय की ओर आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।

कृते : संचालक लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

